कार्यालय, जनपद न्यायाधीश हापुड़।

पत्रांक– /केन्द्रीय नज़ारत/जिला न्यायालय हापुड़। दिनांक– सितम्बर, 2017.

निविदा/टेण्डर

जनपद न्यायालय हापुड़ मुख्यालय में उपयोग के लिए नये साइलेन्ट जनरेटर सेट की स्थापना का कार्य करवाया जाना है, माननीय जनपद न्यायाधीश हापुड़ के आदेशानुसार जनरेटर सेट के कय हेतु प्रतिष्ठित कम्पनियों (कूपर, किलोस्कर एवं महिन्द्रा आदि) के जनरेटर सेट 25 के0वी0ए0 एवं 50 के0वी0ए0 के टेण्डर रजिस्टर्ड फर्मो के द्वारा दिनांक 07.10.2017 को सायं 04:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते है। पंजीकृत फर्मो के प्रतिनिधि नियम/शर्तो के साथ निविदा/टेण्डर प्रस्तुत कर सकते है। प्राप्त टेण्डर को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को जनरेटर के प्रकार की स्वीकृति एवं बजट आवंटन हेतु प्रेषित किया जायेगा एवं स्वीकृति अनुसार जनरेटर सेट का कय किया जायेगा।

जनरेटर सेट के निविदा/टेण्डर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्धारित फार्म किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय हापुड़ से 100/–रू0 अदा कर प्राप्त किये जा सकते है। प्राप्त निविदा/टेण्डर दिनांक 07.10.2017 को सायं 05:00 इन्फ्रास्ट्राक्चर सब–कमेटी, जनपद न्यायालय हापुड़ के समक्ष खोले जायेंगे। निविदा/टेण्डर खोले जाने के समय फर्मो के प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

(कमलेश दुबे)
अध्यक्ष, इन्फ्रास्ट्राक्चर सब–कमेटी/
प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
हापुड़।

जनरेटर सेट हेतु निविदा/टेण्डर निम्न शर्तो के अधीन प्राप्त किये जायेंगे–

1– टेण्डर देने वाली फर्म का व्यापार कर कार्यालय में पंजीकरण होना अनिवार्य है।

2– टेण्डर देने वाली फर्म द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले जनरेटरों 25 के0वी0ए0 एवं 50 के0वी0ए0 का पूर्ण विवरण संलग्न करना अनिवार्य है।

3– फर्म द्वारा जिस कम्पनी के जनरेटर की निविदा/टेण्डर प्रस्तुत किया जा रहा हो, उक्त कम्पनी के जनरेटर का अधिकृत सर्विस सेन्टर उत्तर प्रदेश (एन0सी0आर0) मे होना अनिवार्य।

4– माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्वीकृति उपरांत ही जनरेटर सेट का क्रय किया जायेगा एवं भुगतान किया जायेगा।

5– टेण्डर के साथ अंकन 1,00,000/–रू0 का बैंक ड्रॉफ्ट/चैक माननीय जनपद न्यायाधीश हापुड़ के पक्ष में धरोहर राशि के रूप में संलग्न करना अनिवार्य है।

6– स्वीकृतकर्ता अधिकारी (जनपद न्यायाधीश हापुड़) को अधिकार होगा कि वह किसी भी टेण्डर को बिना कारण बताये निरस्त कर सकते है।

7– निविदा/टेण्डर दाताओं को अपनी निविदा/टेण्डर के साथ GST No., Pan No.,Details of Income Tax Return of last 3 years आदि संलग्न करना अनिवार्य है।

(कमलेश दुबे)
अध्यक्ष, इन्फास्ट्राक्चर सब–कमेटी/
प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
हापुड़।